224

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग०-9298-I-16

प्र0 क्र0 विविध —एक / 16

1-- किसना तनय गुन्दा कोंदर
निवासी--ग्राम टिकुरी (कुदरपुरा)

2-- भईयादीन तनय हिरवा चमार
निवासी-- पवननगर टिकुरी, तहसील
राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0

——आवेदकगंण

23/12/16

23-12-16

23/12/16

विरूद्व

1-- बेनीप्रसाद तनय कमुआ

2-- गोकुल तनय मथुरा

3-- राधे तनय रामदास

सभी निवासीगंण ग्राम टिकुरी,
तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0

- - - - प्रतीवी पक्ष

(आवेदन--पत्र अंतर्गत धारा--32, मध्य प्रदेश भू--राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय माननीय आयुक्त, सागर, संभाग सागर के प्रकरण कमांक 566/अ--19/2005--06 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2006 एवं नायब तहसीलदार , चन्द्रनगर के प्रकरण कमांक 4/अ--19/2001--2002 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2002 के आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगंण का नाम दर्ज कराये जाने बावत् ।)

माननीय न्यायालय,

विविध आवेदन--पत्र प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9298--एक / 16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.2.17	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह विविध प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 566 / अ–19 / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 12.12.06 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदकगण किसना को टिकरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 2539 / 2, 2540 / 1 किता 2 रकवा 0.857 एवं भईयादीन को 2540 / 2 रकवा 1.000 है0 भूमि राजस्व प्रकरण क्रमांक 4 / अ–19 / 2001–02 में पारित आदेश दिनांक 13.6.02 के द्वारा नायब तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा पटटे् पर प्रदाय की गई जिसके विरूद्व अनावेदक पक्ष द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी ने किसना को ग्राम टिकरी का निवासी नहीं होने एवं भैईयादीन के पिता के नाम 1.456 है0 सिंचित भूमि होने से उनके पटटे् प्रश्नगत आदेश दिनांक 2.6.03 के द्वारा निरस्त किये इससे दुखित होकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 12.12.06 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश निरस्त करते हुये पटटे् बहाल करने का आदेश पारित किया, लेकिन राजस्व अभिलेख में एवं कम्प्यूटर खसरा में नाम दर्ज नहीं होने के कारण यह विविध आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	

(31)

3-- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक क्रमांक–1 को ग्राम टिकुरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर 2539/2 रकवा 0.857 है0 एवं आवेदक क्रमांक–2 को खसरा नम्बर 2540/2 रकवा 1.000 है0 भूमि के शासकीय पटटे नायब तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 13.6.02 के द्वारा पटटे पर प्रदाय किये गये थे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 2.6.03 निरस्त कर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 13.6.02 स्थिर रखते हुये पटटे बहाल करने का आदेश किसना तनय गुन्दा कोंदर निवासी ग्राम टिकुरी एवं भईयादीन तनय हिरवा चमार निवासी पवननगर टिकुरी को प्रदान किया गया है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की राजस्व अभिलेख में एवं कम्प्यूटर खसरा में नाम दर्ज कराने के आदेश दिये जावे।

4--अनावेदकगण औपचारिक पक्षकार हैं। आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक किसना कोंदर ग्राम कुदरपुरा(टिकुरी) म0प्र0 के निवासी है एवं आवेदक क्रमांक–2 भईयादीन भी ग्राम टिकुरी के निवासी है, इस संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा निहित प्रारूप में निवास प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं जिनके खंडन में प्रतिपक्ष द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण को उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम टिकुरी का निवासी होना पाया जाता है। आवेदक क्रमांक–2 भईयादीन के [illegible] 1.456 हे0 भूमि है यदि यह तथ्य मान भी लिया जावे [illegible] पिता हिरवा के नाम जारी राशन कार्ड जो कि अनुविभागीय अधिकारी चन्द्रनगर के प्रकरण में संलग्न है के अनुसार हिरवा के परिवार

में कुल सदस्य संख्या 10 है उक्त स्थिति में भईयादीन को 0.500 आरे से भी कम भूमि भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है । अतएव आयुक्त सागर संभाग सागर पटट्े बहाल करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अतः आवेदकगण के पटट्े बहाल होने के आदेश आयुक्त सागर द्वारा दिनांक 12.12.06 को दिये गये हैं लेकिन राजस्व अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज नहीं किया गया है और न ही उनका नाम कम्प्यूटर खसरा में दर्ज किया गया है, जिसके कारण सरकारी योजनाओं का लाभ आवेदकगण को नहीं मिल पा रहा है। अतः तहसीलदार राजनगर को आदेशित किया जाता है कि किसना तनय गुन्दा कोंदर निवासी ग्राम टिकुरी (कुदरपुरा) स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 2539 / 2, 2540 / 1 किता 2 रकवा 0.857 हे0 एवं भईयादीन तनय हिरवा चमार निवासी पवन नगर टिकुरी को खसरा नंबर 2540 / 2 रकवा 1.000 हे0 पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया जावे तथा कम्प्यूटर खसरा में नाम दर्ज किया जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य